

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 88/2022

तारीख दायर 3/4/2022

रमेशचंद पुत्र शंकरलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. सोराम पुत्रके.ला..... जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. भंवरलाल पुत्रके.ला..... जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. राधेश्याम पुत्र रतना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. छीतर पुत्र नन्दा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. रमेश पुत्र गोपी जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. भगवानलाल पुत्र.....भा.हु..... जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बड़ा नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 185 पर अंकित आराजी संख्या 492 रकबा 0.7932 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.7932 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 185 पर अंकित आराजी संख्या 492 रकबा 0.7932 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.7932 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ